नौतपा से पहले 46 पहुंचा खजुराहो का तापमान

प्रदेश में बढ़ रही गर्मी से बेहाल लोग

भोपाल, 22 मई. प्रदेश में नौतपा से पहले ही सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया. छतरपुर जिले में तेज लू का प्रभाव रहा. जबकि छिंदवाड़ा में रात के समय भी गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहा.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा. वहीं रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. इसके विपरीत न्यूनतम तापमान में शहडोल संभाग के जिलों में करीब पौने 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. जबकि सबसे अधिक तापमान बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया. इन दोनों ही स्थानों पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा सीधी, सतना, रीवा, मैहर, अमरपाटन, उमरिया, टीकमगढ़, दमोह और दतिया जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा.

इंदौर में फिर तापमान पहुंचा 41 पार

दो दिन की राहत के बाद आज शहर में फिर तापमान बढ़ गया. आज तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है. यही नहीं रात का तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 27 डिग्री दर्ज हुआ है. आज शाम छह बजे 40 डिग्री तापमान था, जो शाम के सामान्य तापमान से करीब 5 डिग्री ज्यादा है. शहर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन सूरज ने पिछले दो दिन थोड़ी राहत देने के बाद आज फिर अपने तेवर तीखे कर दिए. आज सामान्य से 1.5 ज्यादा तापमान रहा, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं की लपटों ने झुलसा दिया. स्थिति यह थी कि रात 8 बजे भी गर्म हवाएं चल रही थी. वही दिन में आम जनता के घरों में कूलर और पंखे ने जवाब दे दिए.

हरिफाटक ब्रिज के नीचे हंगामा, निर्माण हटाने पहुंची टीम का विरोध

- बुलडोजर की मदद से हटाया मकान
- एमपीआरडीसी बना रहा सड़क और ब्रिज
- 30 और मकानों को दिए नोटिस

नवभारत न्यूज

उज्जैन. अरे साहब हम तो घर में बैठकर खाना ही खा रहे थे और अचानक जेसीबी पोकलेन बुलडोजर डंपर मौके पर पहुंच गए और मकान तोड़ दिया. अब हम परिवार को लेकर कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इस तरह का हंगामा हरिफाटक ब्रिज के नीचे 12 खोली क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब ब्रिज निर्माण के तहत साइड रिक्त कर स्थान देने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की.

सिंहस्थ 2028 की विशाल तैयारियों के तहत शहर में बड़े पैमाने पर सड़क, पुल, रेलवे, फ्लायओवर और चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं. लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के माध्यम से उज्जैन को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा रहा है. अनुमान है कि सिंहस्थ 2028 में करीब 50 करोड़ श्रद्धालु, साधु-संत और पर्यटक उज्जैन पहुंचेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर तक यातायात को सुगम बनाने के लिए इंदौर-उज्जैन मार्ग पर हरिफाटक ब्रिज के समीप नया फोर लेन ब्रिज बनाया जा रहा है.

12 कोली क्षेत्र में हुआ घटनाक्रम - यह पूरा घटनाक्रम हरिफाटक ब्रिज के नीचे स्थित 12 खोली क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर देखने को मिला, जहां नगर निगम और प्रशासन की टीम मकान हटाने की कार्रवाई करने पहुंची थी. वर्तमान में यहां पहले से टू लेन ब्रिज बना हुआ है, जिसके समानांतर एमपीआरडीसी द्वारा नया फोर लेन ब्रिज बनाया जा रहा है. नया पुल बनने के बाद यह मार्ग कुल छह लेन का हो जाएगा, जिससे सिंहस्थ के दौरान महाकाल मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी.

30 मकानों को नोटिस जारी- नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार ब्रिज निर्माण के लिए लगभग 30 मकानों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे. शुक्रवार को नगर निगम की टीम भवन अधिकारी राजकुमार राठौर और अधिकारी सौम्या चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंची. टीम ने बुलडोजर की मदद से एक मकान हटाने की कार्रवाई शुरू की.

रहवासी हुए आक्रोशित - कार्रवाई शुरू होते ही क्षेत्र के कुछ रहवासी आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए बिना मकान तोड़े जा रहे हैं. रहवासियों का कहना था कि जब बुलडोजर चलाया गया, उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर खाना खा रहे थे. एक मकान मालिक राजू ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से पहले मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई शुरू कर दी गई.

मौके पर चक्काजाम

विरोध बढ़ने पर कुछ लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश भी की. मौके पर महाकाल थाना पुलिस, नीलगंगा थाना पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने स्थिति संभाली. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश दी कि सिंहस्थ 2028 के कार्यों के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं और विकास कार्यों में बाधा नहीं बनने दी जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हंगामा करने का प्रयास किया गया तो कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद पुलिस ने चक्का जाम करने वालों को हटाकर यातायात सामान्य कराया. **ब्रिज निर्माण के लिए जगह खाली**- एमपीआरडीसी के माध्यम से तैयार किया जा रहा यह प्रोजेक्ट अब तेजी से मूर्त रूप ले रहा है. इंदौर से उज्जैन तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण भी जारी है, वहीं रवि इंफ्रा कंपनी द्वारा नया सिक्स लेन ब्रिज तैयार किया जाएगा. इसके लिए आने वाले दिनों में बाकी मकानों को भी हटाकर पुल निर्माण हेतु जमीन खाली कराई जाएगी.

पावर-खाकी गठजोड़ की जांच तेज, अब सफेदपोशों की बारी

- मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और बैंक ट्रेल खंगाल रही क्राइम ब्रांच
- मिल रहे हैं नेटवर्क के बड़े खुलासे के संकेत

नव भारत न्यूज

इंदौर. हनी ट्रैप-2 मामले में अब जांच का फोकस गिरफ्तारी से आगे बढ़कर पूरे नेटवर्क और उसके कथित पावर कनेक्शन पर आ गया है. क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के मोबाइल चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन की गहन जांच शुरू कर दी है, जिससे कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आने के संकेत मिल रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार यह रैकेट केवल ब्लैकमेलिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि टारगेट चुनने, संपर्क साधने और दबाव बनाने की एक सुनियोजित प्रणाली पर काम करता था. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन किन लोगों को निशाना बनाया और किन स्तरों पर संरक्षण या सहयोग मिला. मामले में खाकी की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस विभाग के अंदरूनी लिंक और सूचना लीक होने की आशंका को देखते हुए क्राइम ब्रांच अलग अलग स्तर पर पूछताछ कर रही है.

साथ ही यह भी खंगाला जा रहा है कि क्या इस नेटवर्क का दायरा इंदौर से बाहर अन्य शहरों तक फैला हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपियों के डिजिटल डाटा से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी है. जांच एजेंसियां संभावित रूप से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर रही हैं और जल्द ही कुछ और नाम सामने आ सकते हैं. गौरतलब है कि इस मामले में क्राइम ब्रांच सागर निवासी रेशू उर्फ अभिलाषा चौधरी और इंटेलिजेंस विंग के हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर भेजा है. वहीं इस प्रकरण में पहले ही अलका दीक्षित, जयदीप, लाखन चौधरी, जितेंद्र पुरोहित और मुख्य मास्टरमाइंड श्वेता जैन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर दिया है.

यूजी-पीजी में प्रवेश की समय-सारणी जारी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 22 मई. प्रदेश के कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ने समयसारिणी में बदलाव कर दिया है. जिसके बाद अब शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संसोधित नई समय सारिणी जारी की है. विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार स्नातक स्तर द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन आवेदन अब 21 मई से 03 जून 2026 तक किए जा सकेंगे. जबकि पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन 22 मई से 4 जून तक होगा. इसके बाद सीट आवंटन सूची 7 जून को जारी की जाएगी. बता दें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को 7 जून से 13 जून तक का समय मिलेगा.

अलसुबह से भोजशाला में सुनाई दी मंत्रोच्चार की गूंज

- हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले शुक्रवार को पुलिस छावनी बना धार

संजय बाजपेई

धार. इंदौर हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भोजशाला में पहली बार हिंदुओं द्वारा माता वाग्देवी की पूजा अर्चना और महाआरती की गई. अलसुबह से ही श्रद्धालु भोजशाला में विभिन्न अनुष्ठान करते देखे गए. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनभर पूजन का क्रम चलता रहा. अलसुबह से ही भोजशाला में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी. उधर, मुस्लिम समुदाय ने भी सौहार्द का परिचय दिया.

धार जिला मुख्यालय स्थित भोजशाला को माता वाग्देवी का मंदिर माने जाने के बाद यह पहला शुक्रवार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती प्रतीत होता रहा. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिंदू पक्ष ने भोजशाला में वाग्देवी की मूर्ति रखकर पूजन और अन्य अनुष्ठान किए. सुबह से ही भोजशाला में घंटे घड़ियाल बजाते हुए जयकारे लगाते श्रद्धालु देखे गए. संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहे. नगर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए. अधिकारियों द्वारा दोनों समुदायों से लगातार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाती रही. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जाती रही. भोजशाला में पूजन कर श्रद्धालु अति उत्साह में नजर आए. पूरे दिन धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहीं.

पेट्रोलिंग वाहन लगातार करते रहे गश्त

शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहरभर में भारी पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहा. पेट्रोलिंग वाहन लगातार सड़कों पर गश्त लगाते हुए देखे गए. इसी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम समाज ने भी संयम और सौहार्द का परिचय देते हुए विरोध स्वरूप अपने घरों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की. मुस्लिम समाज के सदर व शहरकाजी ने कहा कि वे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, किंतु निर्णय से पूर्णत: संतुष्ट नहीं हैं. इसी कारण न्याय की उम्मीद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रशासन की अपील का असर भी देखने को मिला. दोनों समुदायों ने संयम का परिचय देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखा. कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. नगर में आपसी भाईचारा कायम रहा. वहीं हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	23894824	संपत्ति के बदले ऋण	09.05.2026	16,61,330.34/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. राधिका भावेर 2. भावर अनिल शिवाजीभाई

संपत्ति का पता: साई दर्शन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लैट नंबर जी-2 का पूरा पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 716 वर्ग फुट यानी 66.54 वर्ग मीटर (सुपर बिल्ट-अप एरिया) है, जो सर्वे नंबर 36/1, 37, 41, 42/2, 43, 55, 56/2 और 57 के प्लॉट नंबर 32-ए पर बना है, धनवंतरी नगर एक्सटेंशन, ग्राम: बीजलपुर, तहसील और जिला: इंदौर, मध्य प्रदेश-452012 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 35 और 36-ए, उत्तर: प्लॉट नंबर।31-ए, दक्षिण: फ्लैट संख्या जी-1

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	48329043	संपत्ति के बदले ऋण	08.04.2026	1,08,349.95/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कालू सिंह यादव 2. कंकू बाई यादव

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश-465445, तहसील एवं जिला: अगर, ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या 04, सर्वे संख्या 619, पीएच नं. 21, ग्राम: अहीरबर्डिया, वार्ड संख्या 04 में स्थित, मकान संख्या 42 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल क्षेत्रफल 1560 वर्ग फुट है, पूर्व में सरकारी भूमि और सड़क, पश्चिम में चंदर सिंह का मकान, उत्तर में बने सिंह का मकान और दक्षिण में करण सिंह का मकान है।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 23.05.2026
स्थान : मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

पेज एक का शेष

ट्विशा मौत की होगी सीबीआई जांच

जवाब मांगा है। समर्थ की याचिका हाईकोर्ट में वापस ले ली है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी. जिसमे समर्थ के वकील अपना पक्ष रखेंगे. नवनिधि शर्मा ने कहा ने कहा कि डेडबॉडी का मामला पुलिस की ओर से पैनिक किया जा रहा है. ताकि हम जल्द से जल्द बॉडी लेकर रवाना हो जाएं. उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका में भी डेडबॉडी को माइनस 80 डिग्री तापमान में रखने की व्यवस्था नहीं होती. इसके लिए माइनस 4 डिग्री तापमान ही पर्याप्त होता है. समर्थ की अग्रीम जमानत के लिए याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी जिसके खिलाफ ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि समर्थ 2023 से 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार का लीगल एडवाइजर रह चुका है. इसलिए उसके संपर्क सभी जगह है उन संपकों का लाभ उठाते हुए फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है. इधर शर्मा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को कटारा थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने के लिए भी पत्र लिखा है.

अपराध दर्ज होने वाले दिन मिल गई अग्रिम जमानत

सकती है. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए गिरीबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गयी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ पैरवी करते हुए एकलपीठ को बताया कि गया था कि भोपाल की पूर्व सत्र व जिला न्यायाधीश की बहू ट्विशा शर्मा की 12 मई को रात में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गयी थी. भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने 14 व 15 मई की दरम्यानी रात को गिरीबाला सिंह तथा उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्ष के लोग मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोपण कर रहे है. सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनावेदिका की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ है. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदिका को नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश जारी किये. प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा.

दिग्विजय ने उठाया सोयाबीन बीज का मुद्दा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 मई. पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त प्रमाणित सोयाबीन बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने बोवनी सत्र से पहले इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

अपने पत्र में दिग्विजय सिंह ने किसानों को उचित मूल्य पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने, सोयाबीन बीज के दूसरे राज्यों में निर्यात अथवा परिवहन पर रोक लगाने तथा बीज प्रमाणीकरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग उठाई है. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश कृषि सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य केदार सिरोही द्वारा भेजे गए ई-मेल में इस संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है.

पत्र में कहा गया है कि यदि किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इससे कृषि उत्पादन के साथ-साथ सोयाबीन खेती पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

उन्होंने इस पूरे मामले को किसानों के हितों और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा बताते हुए मुख्यमंत्री से शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की अपील की.

भोपाल में कॉकरोच जनता पार्टी ने की एंट्री

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 मई. नवगठित संगठन कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को भोपाल में अपनी पहली पत्रकारवार्ता आयोजित कर मध्यप्रदेश की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश की घोषणा की. पत्रकारवार्ता में पार्टी ने युवाओं से जुड़े मुद्दों, परीक्षा अनियमितताओं और व्यवस्था परिवर्तन को अपना प्रमुख एजेंडा बताया.

मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश संयोजक मयंक ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने करोड़ों युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, भ्रष्टाचार और युवाओं की लगातार अनदेखी ने नई पीढ़ी में व्यापक निराशा पैदा की है. पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला इकाइयों का गठन किया जाएगा, जिसकी नियमावली तैयार की जा रही है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.02.2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. शिवराज सिंह राजपूत 2. कृष्णा कुंवर राजपूत को नोटिस में उल्लिखित राशि, यानी 26.02.2025 तक की तिथि के अनुसार रू. 5,90,073.87/- (पांच लाख नब्बे हजार तिहत्तर और सत्तासी पैसे मात्र) का भुगतान उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया है।

ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने 21 मई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणकताओं और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) द्वारा रू. 5,90,073.87/- (पांच लाख नब्बे हजार तिहत्तर और सत्तासी पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

बंधक संपत्ति का विवरण

मध्य प्रदेश-465445 के अगर जिले के नलखेड़ा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 11, वार्ड नंबर 11, आबादी सर्वे नंबर 723/4, गांव सुइगांव, पोस्ट सुइगांव, ग्राम पंचायत सुइगांव में स्थित आवासीय आरसीसी निर्मित मकान संख्या 117 का पूरा टुकड़ा, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में चंदर सिंह का मकान, पश्चिम में सामान्य सड़क, उत्तर में ईश्वर सिंह का मकान, दक्षिण में सज्जन सिंह का मकान।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 21.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 98389083

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु.वी.का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। (नियम 8 एवं 9)

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं और जिनका सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री "जैसी है, जहां है", "जैसी है, जो है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://bankauctions.in/ के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गिरवीदार का खाता क्रमांक और नाम	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति)	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
ऋण संख्या TL01IND0000063994. 1. मैसर्स. सोनू ट्रेडर्स, (उधारकर्ता) नागेश्वर मार्ग, वार्ड क्रमांक 07, महेश्वर, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451 224. 2. श्री परमजीत सिंह भाटिया, (सह-उधारकर्ता) 3. श्रीमती गुरप्रीत, (सह-उधारकर्ता) 4. श्रीमती प्रीतपाल कौर, (सह-उधारकर्ता) Sl.No. 2 से 4 तक निवास: नागेश्वर मार्ग, वार्ड क्रमांक 07, महेश्वर, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451 224.	रु. 85,59,971/- 17.11.2025 तक	भूमि सर्वेक्षण सं.324/1/3/2, रकबा 0.0222 हेक्टेयर/क्षेत्रफल 2388 वर्ग फुट, 324/1/3/1/2, रकबा 0.0140 हेक्टेयर/ क्षेत्रफल 1512 वर्ग फुट, कुल रकबा 0.0362 हेक्टेयर/क्षेत्रफल 3900 वर्ग फुट, पी.एच. सं.23, वार्ड सं.07, नागेश्वर मार्ग, महेश्वर, तहसील, महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.) में स्थित संपत्ति का संपूर्ण भाग। भूमि सर्वेक्षण सं.324/1/3/2, रकबा 0.0222 हेक्टेयर/2388 वर्ग फुट, कुल क्षेत्रफल 221.93 वर्ग मीटर। सीमाएँ: पूर्व: सड़क और पाटीदार का भूखंड, पश्चिम: माली समाज धर्मशाला और अन्य मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: स्वयं की भूमि। भूमि सर्वेक्षण सं.324/1/3/2, रकबा 0.0140 हेक्टेयर / 1512 मेसे 1000 वर्ग फुट 92.93 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्व: सड़क, पश्चिम: माली समाज धर्मशाला, उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: अखिलेश और अरविंद का भूखंड। भूमि सर्वेक्षण संख्या 324/1/3/2, रकब